न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 27/2020

1. मांगीलाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति सुथार आयु 28 वर्ष निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. धर्मपाल पुत्र श्री सहीराम जाति सुथार आयु 48 वर्ष निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम्

1. परमानन्द
2. अनिल कुमार

पुत्रगण श्री तिलोकाराम जाति सुथार निवासीयान् भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :– **1. श्री सी.एल. सिडाना अधिवक्ता प्रार्थी**
2. श्री रोहीताश चाहर अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 22/10/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खाते की कृषि भूमि तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 3 बी. आर. एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या – 40 /24 प०न० 216/382 कि0न0 1, 2, 3, 8 से 12/2.024 है०, प०न० 216/383 (21) कि०न० 1 /2/.203 है० कि०न० 2, 9/.506 है0, कि०न० 10/.202 है०, इस खाता की कुल तादादी 2.935 है0 व इसी चक के खाता संख्या – 21/26, प0न0 214/382 (16) कि0न0 5, 6, 13 से 18/2.024 है० कि0न0 23/2, 24/2, 25/2 प्रत्येक तादादी 0.228 है०, प०न० 215/382 (15) कि0न0 1, 5, 6, 10, 11, 13, 20/1.771 है०, कि०न० 21/2/.228 है0, 22/1/.101 है०, इस खाता की कुल तादादी 4.808 है0 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, डिजिटल हस्ताक्षरित जमाबंदीया संलग्न प्रार्थनापत्र है जो प्रार्थनापत्र का आधार है। अप्रार्थी संख्या–1 परमानन्द के नाम से तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 3 बी. आर. एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या–18/20 प०न० 216/382 (14) कि0न0 13, 18, 19/.759 है0 कि0न0 20/1/.220 है० कि०न० 21/3/.198 है0 कि0न0 22/2/.228 है0 कि0न0 23/2/.228 है०, कुल तादादी 1.633 है0 नहरी खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। डिजिटल हस्ताक्षरित जमाबंदी संलग्न प्रार्थनापत्र है । अप्रार्थी संख्या – 2 अनिल कुमार के नाम से तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 3 बी. आर. एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या–2/2 प0न0 215 /382 (15) कि0न0 14 से 17/1.012 है0, कि०न० 24/2, 25/2 प्रत्येक तादादी 0.228 है०, प०न० 216/382 (14) किला न0 20/2 तादादी 0.033 है0 कि0न0 21/2 तादादी 0.030 है० प०न० 216/383 (21) कि०न० 1/1 तादादी 0.050 है0 कि0न0 10/1 तादादी 0. 051 है० कुल तादादी 1.632 है0

Scanned with CamScanner

नहरी खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। डिजिटल हस्ताक्षरित जमाबंदी संलग्न प्रार्थनापत्र है। तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 3 बी. आर. एन. प०न० 216/382 (14), प0न0 215/382(15) प0न0 214/382 (16) तीनो मुरब्बों के किला नम्बर 21 ता 25 में 2 गड्डा चौड़ा स्वीकृत रास्ता मौका पर चालू है एवं इसी रास्ता से होकर ग्राम भुरानपुरा के नागरिक ग्राम मिर्जावालीमेर व अपने कृषि भूमि में आवागमन करते हैं। ग्राम भुरानपुरा के नागरिक इसी रास्ता से होकर अपनी कृषि भूमि में कृषि यंत्र लाते व लेजाते हैं। आंशिक नजरी नक्शा चक 3 बी. आर. एन. संलग्न प्रार्थनापत्र है । चक नम्बर 3 बी. आर. एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 प0न0 216/382 (14) के कि0न0 20, 21 में पत्थर लाईन के चिपता हुआ 2 गड्डा चौड़ा 2 बीघा लम्बा रास्ता अर्सा कदीम से चालू है एवं इसी रास्ता से होकर प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आते–जाते रहे हैं एवं प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की फसल एवं कृषि यंत्र इसी रास्ता से लाते ले जाते रहते हैं। अप्रार्थीगण ने इस रास्ता के सम्बन्ध में कभी विरोध प्रगट नही किया। चक नम्बर 3 बी. आर. एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 प०न० 215/382(15) का कि0न0 13 प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण पत्थर नम्बर 216/382 (14) के किला नम्बर 11 से पत्थर नम्बर 215/382 (15) के किला नम्बर 14, 15 में से होकर अपने किला नम्बर–13 में प्रवेश करते रहे यह रास्ता एक गड्डा चौड़ा व 2 बीघा लम्बा है। प्रार्थीगण इसी रास्ता से कृषि यंत्र एवं फसल लाते लेजाते रहे हैं, जिस बाबत् पटवारी हल्का द्वारा जारी नक्शा संलग्न प्रार्थनापत्र है। यह कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के साथ संयुक्त कृषि भूमि के विभाजन का वाद प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की गलत तामील करवाकर खाता विभाजन करवा लिया जिस बाबत् अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में लम्बित है। इसी विवाद को लेकर अब अप्रार्थीगण प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–5 व 6 में वर्णित रास्तों को बंद करने, व इन्हें खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हैं। ग्राम भुरानपुरा से प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–5 व 6 में वर्णित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, अगर अप्रार्थीगण प्रश्नगत रास्तों को बंद करने अथवा अन्य प्रकार से व्यवधान कारित करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने–जाने व फसल काश्त करने एवं कृषि यंत्र लाने–लेजाने से वंचित हो जावेंगे जिससे प्रार्थीगण को अत्यधिक मानसिक वेदना व अपरिमेय क्षति होगी। प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम भुरानपुरा से ग्राम मिर्जावालीमेर जाने वाले स्वीकृत एवं चालू रास्ता से उत्तर की तरफ मात्र 2 बीघा दूरी पर स्थित है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 5 व 6 में वर्णित रास्ते मौका पर चल रहे हैं एवं यही रास्ते सुगम एवं कम दूरी के हैं। इन रास्तों के अलावा प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। यहाँ यह भी निवेदन है कि मुरब्बा नम्बर 14, 15, 16 के उत्तर की ओर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है । यह कि प्रार्थीगण गाँव के लघु कृषक हैं एवं अर्सा कदीम से प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 5 व 6 में वर्णित रास्ता का

Scanned with CamScanner

प्रयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण जानबूझकर बदनियतिपूर्वक बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्रश्नगत रास्तों को बंद करने व इनमें व्यवधान कारित करने पर उतारू हैं। अगर अप्रार्थीगण अपने उक्त गलत उद्देश्यों में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि की फसल काश्त करने में भारी असुविधा होगी। वर्तमान में प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि को सिंचित कर गेंहूँ की फसल के लिए तैयार किया हुआ है। अगर अप्रार्थीगण ने प्रश्नगत रास्तों को बंद कर दिया तो प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में फसल काश्त करने से वंचित हो जावेंगे जिससे प्रार्थीगण के भूखों मरने की नौबत आ जावेगी। प्रार्थीगण उक्त रास्ता की भूमि के बदले में चक नम्बर 3 बी. आर. एन. प०न० 216/382 (14) के कि०न० 8 व 12 में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के चिपते हुए कृषि भूमि अथवा डी. एल. सी. रेट पर राशी देने को तत्पर एवं तैयार हैं। प्रश्नगत रास्तों के चलते रहने से अप्रार्थीगण को कोई असुविधा नही हो रही है। आज से दो दिवस पूर्व अप्रार्थीगण प्रार्थीगण कृषि भूमि में आये व प्रार्थीगण को यह धमकी दी कि वे यथाशीघ्र प्रश्नगत रास्तों को बंद कर रास्तों की भूमि पर फसल काश्त कर देंगे एवं रास्तों की जगह पर कमरों का निर्माण कर देंगे एवं प्रार्थीगण को प्रश्नगत रास्तों से आने–जाने नही देंगे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वे प्रार्थनापत्र की चरण संख्या – 5 व 6 में वर्णित रास्तों को बंद न करें एवं इन रास्तों में कोई व्यवधान कारित न करें लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के निवेदन को मानने से इन्कार हो गये प्रार्थीगण पूर्ण रूप से सद्भावी हैं। अगर प्रश्नगत रास्तों को बंद कर दिया गया तो प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में गेहूँ की फसल काश्त करने से वंचित हो जावेंगे जिससे प्रार्थीगण की आर्थिक स्थिति जो पूर्व में कमजोर है, और अधिक कमजोर हो जावेगी। यह कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है एवं पूर्ण न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 3 बी. आर. एन. में निम्नानुसार रास्ते स्वीकृत फरमाये जावें।

(क) कि तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 3 बी. आर. एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 प0न0 216/382 (14) के कि०न० 20, 21 में पत्थर लाईन के चिपता हुआ 2 बीघा लम्बा व 2 गट्ठा चौड़ा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

(ख) यह कि तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 3 बी. आर. एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 पत्थर नम्बर 215/382 (15) के किला नम्बर 14, 15 में किला नम्बर 6, 7 के चिपते हुए एक गट्ठा चौड़ा व 2 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

(ग) कि प्रार्थीगण रास्ता की भूमि के बदले में अप्रार्थीगण को चक नम्बर 3 बी. आर.एन. प0न0 216/382 (14) के किला नम्बर 8 व 12 में कृषि भूमि देने को तत्पर एवं तैयार हैं। अगर अप्रार्थीगण डी. एल. सी. रेट के मुताविक रास्ता की भूमि की राशी लेना चाहें तो उक्तानुसार राशी अदा करने को तत्पर एवं तैयार हैं।

Scanned with CamScanner

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष माननीय न्यायालय प्रार्थीगण को दिलाना उचित समझें, दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 राजस्व रिकार्ड रिकार्ड से सम्बन्धित है जो स्वीकार प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है, वर्णित भूमि अप्रार्थी स० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है, वर्णित भूमि अप्रार्थी सं0 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन चक 3 बी. आर एन प0न0 216/382 मु0 14, प0न0 215/382 मु0 15, प0न0 214/282 मु0 16, तीनों मुरब्बों के किलानं0 21 ता 25 में 2 गड्ढा चौड़ा रास्ता मौके पर चालु है, स्वीकार है व अन्य कथन स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 कतई गलत, आधारहीन व मिथ्यारचित होने के कारण स्वीकार नही । प0न0 216/382 मु० 14 किलानं0 20,21 मुझ अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी कृषि भूमि है इसमें से कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है ना ही मौके पर इन किला नम्बर में पत्थर लाईन पर कोई रास्ता चालू है। प्रार्थना पत्र कीदफा 6 कतई गलत, आधारहीन व मिथ्या रचित, विधि विरूद्व अंकित होने के कारण अस्वीकार है, कि चक नं0 3 बी. आर. एन जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के प0न0 215/382 मु० 15 किलानं0 13 प्रार्थीगण के नाम है, कथन मिथ्या रचित है कि चक 3 बी. आर. एन के खाता सं0 21/26 में कुल 4.808 है० कृषि भूमि संयुक्त खाता में कृष्ण कुमार वगैरह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त संयुक्त खाता में प0न0 215/382 मु0 15 किलानं0 13 दर्ज रिकार्ड है, वर्णित रकबा का अभी तक खाता विभाजन नही हुआ है तथा दफा में अंकित कथन प्रार्थीगण प०न० 216/362 मु० 14 किला नं0 11 से प0न0 215/382 मु0 15 के किलानं0 14, 15 में से होकर अपने किला नं0 13 में प्रवेश करते है, अस्वीकार है क्योकि समस्त खाता संयुक्त है तथा इस रकबे में से कोई रास्ता चालू नही है ना ही रहा है। प्रार्थना पत्र की दफा 7 कतई आधारहीन व विधि विरूद्व होने के कारण अस्वीकार है कि खाता विभाजन के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में लम्बित नही है क्योकि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.07 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ में अपील सं0 90/20 बअनवनी बालूराम आदि बनाम् ओमप्रकाश आदि प्रस्तुत हुई थी जो अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2023 को अपील अपीलान्ट निरस्त कर दी गई है, निर्णय नकल पत्रावली में प्रस्तुत हो चुकी है, दफा में अंकित अन्य कथन अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 8 कतई गलत आधारहीन व मिथ्या रचित होने के कारण अस्वीकार है प्रार्थना पत्र की दफा 9 में अंकित कथन मिथ्या रचित, आधारहीन है जो स्वीकार नही, कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 5 व 6 मे वर्णित रास्ता मौके पर चल रहा है, अस्वीकार है क्योकि रास्ता ना कभी चालू रहा है तथा ना ही मौके पर चालू है इसके अलावा दफा में अंकित कथन कि मुरब्बा नं0 14,15,16 के उत्तर की ओर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है, मिथ्या रचित है अस्वीकार है क्योंकि प0न0 216/382 मु० 14 किलानं0 24,17,14,74 में दक्षिण से उतर पश्चिम दिशा मे रास्ता मौके पर चालू है जिससे होकर प्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन करते है। प्रार्थना पत्र की दफा 10 में अंकित कथन मिथ्या रचित है जो स्वीकार नही है क्योकि प्रार्थीगण ने

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने व आर्थिक व मानसिक क्षति करने के लिए मे रचित प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र की दफा 11 में अंकित कथन असत्य द्ध है जो स्वीकार नही है क्योकि विधि अनुसार संयुक्त खाता की कृषि भूमि में प्रत्येक दार काश्तकार का प्रत्येक किला में हक व अधिकार होता है कोई अकेला काश्तकार ष्ट किला में कोई सुविधा की मांग नही कर सकता है जब तक कोई खाता विभाजन हो जावे तो अप्रार्थीगण संयुक्त खाता की कृषि भूमि में से अकेले भूमि देने के अधिकारी है जो विधि विरुद्ध है। प्रार्थना पत्र की दफा 12 में अंकित कथन असत्य [illegible] या रचित है जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 13 में अंकित कथन असत्य मनगढ़त मिथ्या रचित है जो स्वीकार नही है । प्रार्थना पत्र की दफा 14 कानूनी है प्रार्थना पत्र दफा अनुतोष में लगायत क ता घ अस्वीकार है। प्रार्थी किसी तरह का अनुतोष प्राप्त रने का अधिकारी नही है। मुझ अप्रार्थीगण सं० 1 के नाम चक नं० 3 बी आर एन के ाता सं0 18/20 में कुल 1.633 है0 व अप्रार्थीगण सं0 2 के नाम इसी चक के खाता 0 2/2 में कुल 1.632 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रार्थीगण ने प्रार्थना त्र में चक 3 बी. आर.एन के प0न0 216/382 मु0 14 किलान0 20,21 में 2 गठ्ठा चौड़ा 2 बीघा लम्बा एंव प0न0 215/382 मु0 15 किलान0 14,15 में किलान0 3,7 के बिचमे ए एक गठ्ठा चौड़ा व 2 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत करने के लिए प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थीगण ने दफा 1 में संयुक्त खाता की कृषि भूमि का वर्णन किया गया है वह चक 3 बीआरएन के खाता सं0 40/24 में कुल 2.335 है० कृषि भूमि [illegible] व इसी चक के खाता सं0 21/26 में कुल 4.808 है0 कृषि भूमि [illegible] संयुक्त खाता की भूमि है जबकि इन दोनो खातों में प्रार्थीगण के अलावा अन्य भी काश्तकार है। प्रार्थीगण ने अपने संयुक्त खाता की अन्य सहकाश्तकारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है तथा प्रार्थना पत्र की दफा सं० 1 में वर्णित प्रार्थीगण की संयुक्त खाता की कृषि भूमि को प0न0 214/382 प्रत्येक पटन के किलान0 21 व 25 संयुक्त रास्ता है इसके अलावा प०न० 216/382 मु० 14 किलान0 किलान0 24,17,14,7,4 में दक्षिण से उत्तर, पश्चिम दिशा में रास्ता काफी वर्षो से चालू है इन दोनो रास्ता से संयुक्त खाता के सभी सहकाश्तकार आवागमन करते है परन्तु इन अप्रार्थीगण को हैरान परेशान व मानसिक क्षति पहुँचाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो आर्थिक खर्चीली व है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

तहसीलदार राजस्व टिब्बी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी, रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया गया, उभयपक्ष वकील के निवेदन पर स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा हल्का पटवारी के साथ दिनांक 28.08.2025 को मौका निरीक्षण कर फर्द मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई न्यायालय द्वारा प्रार्थी प्रार्थना पत्र, व अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में पीठासीन अधिकारी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 28.08.2025 से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की चक बीआरएन के खाता सं0 40/24 प0न0 216/382 किला न0 1,2,3, 8 ता 12 प0न0 216/383 मु0 21 किला न0 1/2, 2, 9, 10 कुल 2.335 है0 व इसी चक के खाता सं0 21/16 प0न0 214/382 मु0 16 किला न0 5,8 13 ता 18

Scanned with CamScanner

किला न0 23/2, 24/2,25/2 प0न0 215/382 मु0 15 किला न0 1,5,6,10,11,13,20,21/2, 22/1, कुल 4.808 है0 संयुक्त खाते की कृषि दर्ज राजस्व रिकोर्ड है अप्रार्थी परमानंद की खाता स0 18/20 प0न0 216/382 मु0 14 किला न0 13,18,19, 20/1, 21/3, 22/2, 23/2 कुल 1.633 है0 व अप्रार्थी अनिल कुमार की खाता स0 2/2 प0न0 216/382 मु0 14 किला न0 20/2/.033, 21/2/.030 प0न0 216/383 मु0 21 किला न0 1/1, 10/1 कुल 1.6320 है0 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता प0न0 216/382 मु0 14 किला न0 20, 21 पश्चिम दिशा में 0.025 है0 उत्तर से दक्षिण उक्त प्रस्तावित रास्ते की जगह मौके पर कच्ची आड बनी हुई है आड के पूर्व में अप्रार्थी स0 2 की कृषि भूमि स्थित है जबकि प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में प0न0 216/382 मु0 14 के किला न0 4,7,14,17,24 की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण सुखाचार रास्ते का आवागमन हेतु उपयोग लिया जा रहा है।

बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थी ने चक 3 बीआरएन के प0न0 216/382 के मु0न0 14 के किला न0 20, 21 व पत्थर लाईन के चिपते 2 बीघा लम्बा व 2 गटठा चौडा एंव प0न0 215/382 के मु0 15 के किला न0 14 व 15 में किला न0 6, 7 के चिपते 1 गटठा चौडा व 2 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृति का अनुतोष चाहा है। मुताबिक नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता(लाल रंग) से अप्रार्थी स0 2 के खेत (पीला रंग) के पटीनुमा दो टुकडे होना जाहिर है जिससे अप्रार्थी को काश्त में असुविधा होना जाहिर है एंव प्रस्तावित रास्ता लगातार नही होना भी जाहिर है इसके अलावा प्रार्थी अपने खेत (हरे रंग) में प्रवेश हेतु मु0 15 के किला न0 12 एंव 14 से भी अपनी खातेदारी मे प्रवेश कर सकता है जो कि 2 बीघा ही लम्बा है मुताबिक नजरी नक्शा प्रार्थी सुखाचार रास्ता (नीला रंग) से वर्तमान में निर्बाध अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करता आ रहा है इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 की धारा 251ए में वर्णित प्रावधानों के (1) में नया रास्ता स्वीकृत करने से संबधित प्रावधानों (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है (2) अन्य खातेदार की जोत मे से विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो गया हो,(3) निकटतम सरकारी रास्ते से लघुतम दूरी पर हो। उक्त प्रावधानो के अनुसार हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता होने एंव प्रस्तावित रास्ता लघुतम दूरी का जाहिर नही होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नही है।

उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आरटीए के प्रावधानों के सुसंगत नही होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner